संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय

सरगाँव, जिला मुंगेली (छ.ग.)

स्थापना वर्ष : 2010

सत्र : 2019–20

सूचना एवं प्रवेश विवरणिका
Information & Admission Brochure

ज्ञानवान लभते ज्ञानम

Scanned by CamScanner

विषय समूह में निर्धारित सीटों की संख्या

संकाय :स्तर/कक्षा		विषय	निर्धारित सीट संख्या
कला संकाय			
स्नातक :			
बी.ए.	भाग–एक	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास	80
बी.ए.	भाग–दो	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास	80
बी.ए.	भाग–तीन	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास	80
वाणिज्य संकाय			
स्नातक :			
बी.काम.	भाग–एक	सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60
बी.काम.	भाग–दो	सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60
बी.काम.	भाग–तीन	सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय	60
विज्ञान संकाय			
स्नातक :			
बी.एस.सी.	भाग–एक	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र	80
बी.एस.सी.	भाग–दो	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र	80
बी.एस.सी.	भाग–तीन	आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र	80

Scanned by CamScanner

प्राचार्य की कलम से.....

प्रिय छात्र/छात्राओं,

युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र की सकारात्मक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, इसे सही दिशा में नियोजित एवं रुपांतरित करने के लिये हम निरंतर प्रयासरत हैं। अगस्त 2010 से प्रारंभ हुए इस महाविद्यालय द्वारा निरंतर स्वस्थ, शैक्षणिक एवं शैक्षिणेत्तर वातावरण को पोषित किया जा रहा है। हमारा दायित्व छात्र-छात्राओं तक केवल सूचनाएँ एवं जानकारियाँ पहुँचाने तक सीमित नहीं है, वरन् उनमें निश्चित रुप तौर पर मौजूद क्षमताओं, प्रतिभाओं और संभावना को विकसित करना करना भी है। छात्रों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर हम विशेष दृष्टि के साथ आपके मार्गदर्शन के लिये सदैव तत्पर हैं। बौध्दिक उत्कृष्टता आत्मविश्वास से भरपूर जीवंत छात्र-छात्राएँ पूरी तरह तैयार, आश्वस्त और ज़िम्मेदार प्रबु युवा नागरिक के रुप में आज के तेज़ी से बदलते वैश्विक समाज में कदम रखें, यही हम मंशा है।

हम प्रतिबध्द है महाविद्यालय में अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं के प्रवेश के प्रति, जिससे वे शासन की योजनाओं, सुविधाओं और हमारे महाविद्यालय की उत्तम अध्यापन व्यवस्था का लाभ प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकें।

सुझाव हमेशा बहुमूल्य होते हैं, सुझावों का स्वागत है।

डॉ. चिन्मोयी रानी दास
प्राचार्य

शिक्षा की जड़े भले ही कड़वी हों, इसके फल मीठे होते हैं। अरस्तू

Scanned by CamScanner

महाविद्यालयीन शासकीय एवं अशासकीय शुल्क विवरण सत्र 2019–2020

अशासकीय शुल्क

1. सम्मिलित निधि : 34.00
2. महाविद्यालय विकास शुल्क : 150.00
3. निर्धन छात्र कल्याण शुल्क : 5.00
4. छात्र संघ शुल्क : 40.00
5. परिचय पत्र : 32.00
6. स्नेह सम्मेलन शुल्क : 10.00
7. चिकित्सा शुल्क : 5.00
8. पुस्तकालय शुल्क : 15.00
9. छात्र कल्याण शुल्क : 20.00
10. रेडक्रास : 50.00
11. वाचनालय शुल्क : 20.00
12. योजना शुल्क : 5.00
13. शारीरिक कल्याण शुल्क : 150.00
14. अवधान राशि : 100.00
15. वि.वि. छात्र कल्याण : 10.00
16. युवा गतिविधि : 4.00
17. वि.वि. संघ शुल्क : 2.00
18. वि.वि. ग्रंथालय शुल्क : 20.00
19. सायकल स्टैण्ड शुल्क : 100.00

शासकीय शुल्क

1. शिक्षण शुल्क : 115.00
2. प्रवेश शुल्क : 3.00
3. स्टेशनरी शुल्क : 3.00
4. प्रयोगशाला शुल्क : 20.00
5. जनभागीदारी शुल्क : 200.00

शुल्क में छूट / रियायत

शासन के नियमानुसार विद्यार्थियों को शुल्क में रियायत निम्नानुसार उपलब्ध है :–

1. यदि दो या दो से अधिक भाई/बहन एक ही सत्र में अध्ययनरत हैं, तो छोटे भाई/बहन को आधे शिक्षण शुल्क की छूट मिलेगी।
2. अजा/अजजा के विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को माता पिता के शासकीय सेवा का प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जायेगी।

(सत्र 2018–19 में प्रवेश लेने वाले नियमित छात्र/छात्राओं की फीस निम्नानुसार है :–)

Class	General		OBC		SC		ST	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
B.A. I	1093	878	1093	978	978	978	978	978
B.A. II	993	878	993	878	878	878	878	878
B.A. III	993	878	993	878	878	878	878	878
B.COM. I	1093	978	1093	978	878	878	878	878
B.COM. II	993	878	993	878	878	878	878	878
B.COM. III	993	878	993	878	878	878	878	878
B.Sc. I	1113	998	1113	998	998	998	998	998
B.Sc. II	1013	898	1013	898	898	898	898	898
B.Sc. III	1013.	898	1013	898	898	898	898	898

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये

आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये। छात्राओं के लिए सलवार, कुर्ता, ओढ़नी शालीन वेशभूषा होगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यहवार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली–गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा । जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Scanned by CamScanner

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पॉच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

Scanned by CamScanner

सुविधाएँ एवं संसाधन

1. छात्रवृत्ति : महाविद्यालय में समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं, जो कि प्रत्येक सत्र में देय होंगी।

1. अनु.जाति / अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को नियमानुसार पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
   नोट : बी.पी.एल. एवं पोस्ट मेट्रिक में से किसी एक छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. छ.ग.शासन के निर्देशानुसार विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। जिसके लिये आवश्यक प्रमाणपत्र देय होगा।
3. अनु.जाति / अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये शासन ने ऑनलाइन छात्रवृत्ति की शुरूवात सन 2012–13 में कर दी है। इसके तहत ही उक्त वर्ग के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त जो विद्यार्थी जिस छात्रवृत्ति की पात्रता रखता है, कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक प्रतिपूर्ति एवं प्रमाण पत्र सहित जुलाई माह में (अथवा निर्धारित अन्य तिथि पर) जमा करें ताकि समय पर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके।

2. रा.से.यो.: महाविद्यालय में रा.से.यो. की 100 सदस्य वाली (छात्र–छात्राएं) इकाई संचालित है। रा.से.यो.इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर एवं नियमित गतिविधी के अंतर्गत एक दिवसीय शिविर आयोजित किये जाते हैं। समय समय पर गोद ग्राम में विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियानों के द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन दिये जाते हैं। सत्र 2017–18 में महाविद्यालय के दो स्वयंसेवक लक्ष्मण धृतलहरे बी.एस.भाग दो एवं खिलावन दिव्य बी.एस.सी भाग दो ने रायपुर में आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय योग कार्यशाला में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। महाविद्यालय के रा.से.यो.स्वयंसेवकों के द्वारा स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता दी गई। सत्र 2017–18 में रा.से.यो. के 12 स्वयंसेवकों को वि.वि.द्वारा 'बी' प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। 'रक्तदान–महादान' को साकार करते हुए महाविद्यालय के स्वयंसेवकों द्वारा रक्त वर्ग परीक्षण शिविर भी आयोजित किये जाते हैं।

3. पुस्तकालय एवं बुक बैंक : महाविद्यालय के समृद्ध ग्रंथालय में विभिन्न विषयों से संबंधित 6000 से अधिक पाठ्य पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो नियमित विद्यार्थियों को नियमानुसार निगर्मित की जाती हैं। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को संपूर्ण सत्र के लिये निःशुल्क पुस्तकें निर्गमित की जाती हैं। आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं को शासन की योजनंतर्गत निःशुल्क पठन–पाठन सामग्री भी प्रदान की जाती है।

4. परिचय पत्र : महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त समस्त छात्र–छात्राओं को अनिवार्यतः परिचय पत्र प्रदान किया जाता है। महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक दिवस पर प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्यतः परिचय पत्र धारण करना होगा।

5. रेडक्रॉस : महाविद्यालय में रेडक्रॉस की इकाई सक्रिय है। प्रत्येक विद्यार्थी को रेडक्रॉस इकाई का सदस्य बनना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, रक्तदान, प्रथमिक उपचार, स्वास्थ्य परीक्षण एवं समयानुसार समाज सेवा का कार्य करते हैं।

6. क्रीडा : महाविद्यालय में खेलकूद की सुविधा उपलब्ध है। वार्षिकोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

Scanned by CamScanner

7. **पर्यावरण संचेतना :** पर्यावरण संरक्षण आज विश्व मानवता के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। इस हेतु महाविद्यालय परिसर में भी छात्र छात्राओं के द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम अयोजित किये जाते हैं। परिसर के भीतर भी गलियारे एवं प्रांगण को हरा भरा रखने का प्रयास किया जाता है।

8. **स्वच्छता कार्यक्रम :** भारत सरकार की अभिनव योजना 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत महाविद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम उत्साहपूर्वक नियोजित किया जाता है। प्रांगण की स्वच्छता के अलावा अध्यापन कक्षाओं एवं बरामदे की साफ–सफाई हेतु टीम गठित कर समय समय पर स्वच्छता संबंधी कार्य किये जाते हैं। कक्षावार स्वच्छता प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है।

9. **रोज़गार निर्देशन प्रकोष्ठ :** महाविद्यालय में समय समय पर छात्रों को रोज़गार संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु कार्यशाला का आयोजन विगत वर्षों में किया गया है। ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से कराने के लिये महाविद्यालय प्रयासरत रहता है। विगत वर्ष में अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में औद्योगिक इकाइयों में शैक्षणिक भ्रमण कराया गया।

10. **आंतरिक मूल्यांकन :** शासन के निर्देशानुसार एवं छात्रों के सतत मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाती है। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा (इकाई एवं सत्र परीक्षा) में सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। मूल्यांकन के पूर्व एक कार्यशाला का आयोजन कर विषय एवं उत्तर लेखन संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है।

11. **उपस्थिति :** वि.वि.के निर्देशानुसार वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में विद्यार्थी वि.वि.परीक्षा से वंचित हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। उपस्थिति कम होने की स्थिति में छात्रवृत्ति से भी वंचित किया जा सकता है।

12. **लोक सेवा गारंटी 2010 अधिनियम :** महाविद्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू है, जिसके अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालयीन कार्य हेतु समय–सीमा महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

13. **सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम :** महाविद्यालय में सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम लागू है । जिसके अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही संपन्न की जाती है ।

Scanned by CamScanner

आरक्षण

1. छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–
प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग). अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14% सीटें अन्य पिछड़े. वर्गो के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामीं निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉ खण्ड क. ख. तथा ग के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

2. (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क,ख तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रंता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 2.1 के खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 स्थान आरक्षित रहेंगे।

4. सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

5. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपेन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवंर्ग जैसे स्वतंत्रंता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

6. आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

7. समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

8. कंडिका 12.1 में दर्शायी गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

Scanned by CamScanner

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची

1. डॉ. [illegible] तिवारी	प्राध्यापक	समाजशास्त्र
2. डॉ. [illegible]	प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
3. डॉ. [illegible]	सहायक प्राध्यापक	इतिहास
4. डॉ. [illegible]	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी
5. डॉ. [illegible] शर्मा	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी
6. डॉ. [illegible] सिंह	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
7. डॉ. [illegible]	सहायक प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र
8. श्री [illegible] कुमार [illegible]	सहायक प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र
9. श्री [illegible] कुमार शर्मा	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
10. डॉ. [illegible]	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
11. श्रीमती अनुराधा [illegible]	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य

कार्यालयीन स्टॉफ

1. श्री [illegible]	सहायक ग्रेड – 1
2. श्री [illegible]	सहायक ग्रेड – 2
3. श्री [illegible]	सहायक ग्रेड – 3
3. श्री [illegible] प्रसाद [illegible]	प्रयोगशाला तकनीशियन
4. श्री [illegible] कुमार [illegible]	प्रयोगशाला तकनीशियन
5. श्री [illegible]	प्रयोगशाला तकनीशियन
6. श्री [illegible] साहू	भृत्य
7. श्री [illegible]	भृत्य
8. श्री [illegible] कुमार [illegible]	प्रयोगशाला परिचारक

महाविद्यालय के गौरव

2013-14	B.A.III B.Sc.III	[illegible] साहू [illegible]	1127/1900 1187/1900
2014-15	B.A.III B.Sc.III	[illegible] [illegible]	1213/1900 1197/1900
2015-16	B.A.III B.Com III B.Sc.III	[illegible] [illegible] खाँ [illegible] साहू	1191/1900 964/1800 1142/1900
2016-17	B.A.III B.Com III B.Sc.III	[illegible] कुमार कु. [illegible] [illegible]	1174/1900 985/1800 1188/1900
2017-18	B.A.III B.Com III B.Sc. III	[illegible] साहू [illegible] साहू [illegible]	1110/1900 1061/1800

ANNEXURE - I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

(Name of Student) ____________________

S/o D/o Mr..Mrs./Ms (Name if Parent/ Guardian) ____________________

having been admitted to (Name of college) **GOVT. COLLEGE SARGAON, DIST, MUNGLEI (C.G.)** have recieved a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009 (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations am aware that constitutes ragging.

3) I have also, in particular clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that.

a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act or commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to cause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that i have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote ragging : and further affirm that, in case the declaration in found to be untrue, I am aware that my admission in liable to be cancelled.

Declare this ________ day of ________ month of ________ year.

Signature of Deponent

Name : ....

Class : ....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to be the best of my knowledge and no part of affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ____________ on this the __________ of ____________ year.

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ____________ of ________________ after reading the constants of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Scanned by CamScanner

ANNEXURE II

AFFIDAVIT BY THE PARENTS / GUARDIAN

1) (Name of Parent / Guardian) ______________________________

Father/Mother/Guardian of : (Name of student) ______________________________ having been admitted to (Name of college) class ______________________________ **GOVT. COLLEGE SARGAON, DIST, MUNGLEI (C.G.)** have Received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009 (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations am aware that constitutes ragging.

3) I have also, in particular clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I here by solemnly aver and undertake that :-

a) My ward will not indulge in ant behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to cause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ware has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote ragging : and further affirm that, in case the declaration in found to be untrue, I am aware that my admission in liable to be cancelled.

Declare this ________ day of ________ month of ___________ year

Signature of Deponent

Name : ______________________________

Address : ______________________________

Telephone/ Mob. No : ________________

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to be the best of my knowledge and no part of affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ________________ on this the ______________ of ____________ year.

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ____________________ of ________________ after reading the constants of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Scanned by CamScanner

संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगाँव, जिला मुंगेली (छ.ग.)

No : ____________

Date : ____________

प्राप्तांक			पूर्णांक	
वर्ग	ST	SC	OBC	GEN	BPL

प्रवेश आवेदन-पत्र

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रवेश के लिये प्रत्येक विषय/संकाय के लिये पृथक पत्र भरें।

प्रवेश क्रमांक : .... आवेदन पत्र क्रमांक ....

संकाय जिसमें प्रवेश चाहिये ....

कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये ....

आवेदक जो विषय अथवा जिस विषय में विशिष्टीकरण करना चाहता है –

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

01) आवेदक का नाम एवं पता :

अ) नाम ....

पिता का नाम ....

माता का नाम ....

ब) छात्र का स्थायी पता स्थान .... पो.आ ....

जिला .... राज्य ....

पिन कोड नंबर ....

फोन/मो.न. ....

आधार कार्ड नं. ....

बैंक खाता क्रमांक ....

02) जन्म तारीख (अंकों एवं शब्दों में) ....

03) जन्म स्थान ग्राम/शहर .... पो. ....

जिला .... राज्य ....

राष्ट्रीय ....

.04) क्या आवेदक छ.ग. का निवासी है ....

यदि हाँ तो किस स्थान का

05) जाति .... वर्ग अजा/अजजा/अ.पि.व./सामान्य

06) संरक्षक (यदि पिता जीवित न हों) का नाम .... संबंध ....

07) पिता/संरक्षक का व्यवसाय/आय .... आय ....

Scanned by CamScanner

08) यदि आवेदक अनुजाति/जनजाति/विमुक्ति जाति/विकलांग छात्र/छ.ग.शासन के तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति कर्मचारी की संतान हो तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये। ....

09) यदि पिता/संरक्षक स्थानीय न हों तो स्थायी नाम, संरक्षक का पूरा नाम, पता व संबंध ....

पता..

संबंध ....

10) अंतिम संस्था का नाम जिसमें –

अ अध्ययन किया तथा अध्ययन का वर्ष ....

ब. विश्वविद्यालय का नाम एवं नामांकन क्रमांक ....

11) आवेदक की शैक्षणिक प्रगति का विवरण :

कक्षा	उत्तीर्ण करने के पूर्ण विशिष्टतम और विषय				विशिष्टता मेरिट विषय स्थान	मा.शिक्षा/वि.वि का नाम और छोड़ा गया शिक्षा संस्थान
	रोल नं.	वर्ष	परीक्षाफल	प्राप्तांक		
10 +2 हायर सेकेण्डरी						
बी.ए./बी.कॉम/बी.बी.ए						
बी.एस.सी (प्रथम)						
बी.ए./बी.कॉम/बी.बी.ए						
बी.एस.सी (द्वितीय)						
बी.ए./बी.कॉम/बी.बी.ए						
बी.एस.सी (तृतीय)						
एम.ए.पूर्वार्द्ध						
एम.कॉम पूर्वार्द्ध						

12) अंतिम परीक्षा माध्यम ....

13) क्या गत 5 वर्षों में आवेदक का अध्ययनक्रम जारी रहा, यदि नहीं तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। ....

14) क्या गत वर्षों में आवेदक ने इस महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदन किया था तथा उसे प्रवेश नहीं दिया गया, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दीजिये। ....

15) क्या आवेदक सेवारत है, यदि हाँ तो विवरण देकर नियुक्ता की महाविद्यालय अध्ययन के लिये लिखित अनुमति संलग्न करें ....

16) अ. किसी शैक्षणिक, साहित्य विधा में रुचि है– ....

नाटक/कविता/कहानी/चित्रकला/संगीत/नृत्य/अन्य

ब. किस खेल में रुचि है – ....

फुटबॉल/हॉकी/क्रिकेट/कबड्डी/टेनिस/बैडमिंटन/बॉस्केटबॉल/एथलेटिक्स/अन्य जो लागू हो उसे चिन्हित करें।

Scanned by CamScanner

संलग्न आलेखों की सूची : (दसवीं से लेकर पूर्व परीक्षा की अंक सूची की छायाप्रति संलग्न करें)
1. विद्यालय/महाविद्यालय को छोड़ने का मूल प्रमाण पत्र 2. जन्म तारीख संबंधी प्रमाण पत्र। 3.निवास प्रमाण पत्र 4. चरित्र प्रमाण पत्र 5. नियोक्ता की स्वीकृति 6. अनुजाति/जनजाति/विकलांगता प्रमाण पत्र/बी.पी.एल. 7. छत्तीसगढ़ के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेण कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र 8. प्रवजन पत्र यदि अन्य विश्वविद्यालय से आवेदक आया है 9. यदि गैप है तो प्रमाण पत्र 10. पिछड़ा वर्ग/आय प्रमाण पत्र सहित। 11. आधार कार्ड का फोटोकॉपी 12. बैंक अकाउंट नम्बर के लिये पास बुक की प्रथम पेज की फोटो कॉपी।

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का पालन करता रहूँगा तथा महाविद्यालय में अथवा उसके बाहर एवं परीक्षाओं में किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई भाग नहीं लूंगा। मैं प्रत्येक मामले में प्राचार्य महोदय के निर्णय का पालन करूँगा।किसी भी पदाधिकारी के रूप में प्राचार्य महोदय अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं करूँगा। मेरी और महाविद्यालय का कोई शुल्क अथवा अन्य किसी संबंध में कोई धनराशि देय नहीं है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि गत वर्षो अनुशासन भंग, दुराचरण परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहार अथवा किसी अन्य कारण से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या कियी न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने समस्त जानकारी ऊपर दे दी है, तथा उसमें जब कभी कोई परिवर्तन होगा, मैं उसकी सूचना तुरंत ही दे दूंगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा।

मैं...घोषित करता हूँ कि महाविद्यालय परिसर में किसी भी छात्र/छात्रा के साथ रैगिंग नहीं करूंगा और न अनुशासनहीनता करूंगा। उक्त कृत्य करने/प्रयास करने पर मेरा महाविद्यालय का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मुझ पर होगी। कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता मुझे मान्य है तथा सात आंतरिक इकाई परीक्षाओं में कम से कम पांच परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने पर मेरा प्रवेश निरस्त माना जावें।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर **आवेदक के हस्ताक्षर**

पिता या अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य है। विश्वविद्यालय विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में उपस्थिति तथा उसकी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिये मैंने पूर्ण उत्तरदायी रहते हुये महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा और महाविद्यालय को देय समस्त शुल्क की राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

घोषणापत्र एक विषय में पूरक छात्र/छात्राओं के लिये

मैं...पुत्र/पुत्री श्री ....
महाविद्यालय का छात्र...के लिये अस्थायी रूप से प्रवेश हेतु आवेदन करता हूं क्योंकि कक्षा.................में मेरी ....विषय में पूरक परीक्षा घोषित की गई।
यदि आगामी पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता हूं तो मेरा नाम काट कर यह अस्थायी प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और प्रवेश हेतु जो राशि जमा कर रहा हूं, जब्त किया जाये। मैं अपनी शुल्क राशि वापस पाने का अधिकारी नहीं रहूंगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

प्रकाशक : प्राचार्य, संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय मूल्य : 100/-

Scanned by CamScanner